



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102022-239570
CG-DL-E-11102022-239570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4613]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 2022/आश्विन 19, 1944

No. 4613]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 2022/ASVINA 19, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4823(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तहसील: नवलगढ़, जिला: झुंझुनू, राज्य: राजस्थान में बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह बांकावत (सेवानिवृत्त आई. ए. एस.), सक्षम प्राधिकारी, राजस्थान, इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू मुंद्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना, प्लॉट सं. 3, द्वितीय तल, श्याम हाउस, आम्रपाली चैराहा, वैशालीनगर, जयपुर- 302021, राजस्थान को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
तहसील - नवलगढ़		जिला - झुंझुनू	राज्य - राजस्थान		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	संपादित क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	पवाना ग्रामीण	335	00	26	44
		343	00	01	89
		339	00	18	95
		340	00	29	30
		322	00	24	02
		318	00	00	57
		319	00	14	05
		320	00	15	48
		942/154	00	04	09
		153	00	34	43
		155	00	24	18
		142	00	39	14
		141	00	11	72
		140	00	17	87
		1444/117	00	16	84
		117	00	13	99
		119	00	14	84
2	मीलनगर	922/81	00	04	61
		81	00	22	21
		169/80	00	06	12
		168/80	00	00	92
		80	00	19	46
		79	00	12	30
		77	00	13	25
		74	00	16	60
		161/74	00	01	80
		160/74	00	16	22
		13	00	29	70
		145/13	00	00	82
		144/12	00	01	64
		12	00	20	01
		11	00	30	45
		10	00	28	00
3	मुकुन्दगढ़	358	00	20	96
		360	00	15	68
		210	00	38	02
		218	00	15	80

		213	00	00	14
		217	00	12	54
		215	00	04	91
		198	00	15	35
		167	00	16	07
		170	00	14	11
		163	00	18	32
		162	00	09	28
		159	00	22	53
		157	00	15	20
		127	00	19	66
		128	00	20	47
		129	00	15	55
		895/10	00	00	91
		5	00	09	34
		3	00	20	86
4	जांटवाली	369/84	00	28	52
		368/84	00	02	88
		367/83	00	02	62
		79	00	42	92
		77	00	21	04
		76	00	19	07
		75	00	16	34
		415/65	00	16	49
		427/62	00	01	67
		426/62	00	02	99
		428/60	00	13	04
		429/60	00	06	07
		51	00	31	74
		50	00	08	62
		49	00	13	92
		44	00	48	08
		380/314	00	17	49
		42	00	01	19
		43	00	19	29
		41	00	00	10
		6	00	23	74
		335/6	00	00	14
		336/5	00	00	10
		353/5	00	24	76
		4	00	02	45
		320/2	00	00	80

388/2	00	04	55
3	00	08	65
181	00	19	79

[फा. सं. आर-11029/33/2022-ओआर-I/ई-42962]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2022

S.O. 4823(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest to lay Crude Oil Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in Tehsil **Nawalgarh** of **Jhunjhunu** District in State of Rajasthan.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri Veerendra Singh Bankawat (Retd. IAS), Competent Authority, Rajasthan, Indian Oil Corporation Limited, New Mundra Panipat Pipeline Project, Plot No. 3, 2nd Floor, Shyam House, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur- 302021, Rajasthan.

SCHEDULE

Tehsil:- Nawalgarh		District:- Jhunjhunu	State :- Rajasthan		
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area to be acquired		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	PABANA RURAL	335	00	26	44
		343	00	01	89
		339	00	18	95
		340	00	29	30
		322	00	24	02
		318	00	00	57
		319	00	14	05
		320	00	15	48
		942/154	00	04	09
		153	00	34	43
		155	00	24	18
		142	00	39	14
		141	00	11	72
		140	00	17	87
		1444/117	00	16	84

		117	00	13	99
		119	00	14	84
2	MEELNAGAR	922/81	00	04	61
		81	00	22	21
		169/80	00	06	12
		168/80	00	00	92
		80	00	19	46
		79	00	12	30
		77	00	13	25
		74	00	16	60
		161/74	00	01	80
		160/74	00	16	22
		13	00	29	70
		145/13	00	00	82
		144/12	00	01	64
		12	00	20	01
		11	00	30	45
		10	00	28	00
3	MUKUNDGARH	358	00	20	96
		360	00	15	68
		210	00	38	02
		218	00	15	80
		213	00	00	14
		217	00	12	54
		215	00	04	91
		198	00	15	35
		167	00	16	07
		170	00	14	11
		163	00	18	32
		162	00	09	28
		159	00	22	53
		157	00	15	20
		127	00	19	66
		128	00	20	47
		129	00	15	55
		895/10	00	00	91
		5	00	09	34
		3	00	20	86
4	JANTWALI	369/84	00	28	52
		368/84	00	02	88
		367/83	00	02	62
		79	00	42	92
		77	00	21	04
		76	00	19	07
		75	00	16	34
		415/65	00	16	49

427/62	00	01	67
426/62	00	02	99
428/60	00	13	04
429/60	00	06	07
51	00	31	74
50	00	08	62
49	00	13	92
44	00	48	08
380/314	00	17	49
42	00	01	19
43	00	19	29
41	00	00	10
6	00	23	74
335/6	00	00	14
336/5	00	00	10
353/5	00	24	76
4	00	02	45
320/2	00	00	80
388/2	00	04	55
3	00	08	65
181	00	19	79

[F. No. R-11029/33/2022-OR-I /E-42962]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.